

राजस्थान सरकार
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सुजानगढ़ जिला चूरु (राज.)

राजस्व प्रार्थना-पत्र संख्या : 131/2025

निर्णय दिनांक : 15.07.2025

दायर दिनांक - 15.07.2025

6/MS 2025/243

1. आसुराम पुत्र भगवानाराम जाति राईका निवासी ग्राम मगरासर खारिया कनीराम
तहसील सुजानगढ़ जिला चूरुप्रार्थी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सुजानगढ़ जिला चूरु

.....अप्रार्थी

प्रार्थना-पत्र धारा 136 एल आर एक्ट

—:निर्णय:—

संक्षिप्त में प्रार्थना-पत्र के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रार्थी द्वारा पण्डित दीनदयाल
उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाडा स्थान मगरासर में प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया।
रोही मगरासर तहसील सुजानगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड में खाता संख्या नया 14 के खसरा
संख्या 396 तादादी 8.9779 है0, ख0नं0 522/396 तादादी 0.5690 है0 व खसरा नम्बर
785/42 तादादी 0.7587 है0 प्रार्थी की खातेदारी में दर्ज है। प्रार्थी का नाम उक्त राजस्व
रिकॉर्ड में आशाराम पुत्र भगवानाराम दर्ज है जो अशुद्ध है, जबकि प्रार्थी का सही नाम
आसुराम पुत्र भगवानाराम है। अन्य दस्तावेज यथा आधार कार्ड, पैनकार्ड आदि में प्रार्थी का
सही नाम आसुराम ही अंकित है।

प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में गलत होने के कारण प्रार्थी को सरकारी लाभांश
आदि प्राप्त करने में परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिसके कारण रिकॉर्ड दुरुस्त
करवाना आवश्यक है।

प्रश्नगत खेत रोही मगरासर तहसील सुजानगढ़ जिला चूरु में होने के कारण
प्रार्थना पत्र का क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार इस न्यायालय को प्राप्त है।

उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़

प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ से प्रकरण में रिपोर्ट ली गई। जिस पर तहसीलदार सुजानगढ़ ने रिपोर्ट प्रस्तुत कर निवेदन किया कि दस्तोवजों यथा आधारकार्ड, पैनकार्ड आदि में प्रार्थी का सही नाम आसुराम अंकित है जबकि जमाबन्दी में आशाराम अंकित है जो अशुद्ध है। तहसीलदार सुजानगढ़ द्वारा प्रार्थी का नाम राजस्व रिकॉर्ड में आशाराम की बजाय आसुराम दुरस्त किये जाने की अभिशंषा की गयी।

पत्रावली तथा रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज आधार कार्ड, पैनकार्ड कार्ड आदि में प्रार्थी का नाम आसुराम अंकित है। अतः मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार सुजानगढ़ तथा संलग्न दस्तावेजात अनुसार प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होने के कारण स्वीकार किया जाता है।

—:आदेश:—

प्रार्थना-पत्र प्रार्थी स्वीकार किया जाकर अप्रार्थी तहसीलदार सुजानगढ़ को आदेशित किया जाता है कि वादगत भूमि वाके रोही मगरासर तहसील सुजानगढ़ के राजस्व रिकॉर्ड खाता संख्या नया 14 के खसरा संख्या 396 तादादी 8.9779 है0, ख0नं0 522/396 तादादी 0.5690 है0 व खसरा नम्बर 785/42 तादादी 0.7587 है0 में दर्ज खातेदार का नाम आशाराम के स्थान पर आसुराम दर्ज किया जावे। रहन की प्रविष्टी (यदि कोई हो तो) यथावत रहेगी। निर्णय की प्रति तहसीलदार सुजानगढ़ को पालनार्थ प्रेषित हो।

निर्णय आज दिनांक 15.07.2025 को टंकित करवाया जाकर सरेआम इजलास में सुनाया गया।



उपखण्ड अधिकारी
उप खण्ड अधिकारी
सुजानगढ़